

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(181)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती बसन्ती औला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, (परिवीक्षाधीन) खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुन्झुनू को स्वयं की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 19.09.2017 से 15.12.2017 तक कुल 88 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.03.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 28/11/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(181)/2018/4078

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुन्झुनू।
3. श्रीमती बसन्ती औला म.स्वा.कार्य., को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

सर्व (कम) मुठ निम्नगीप वी.एस.ए.पर

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर